Press Release

Bureau of Indian Standards

Ahmedabad Branch office

Our Ref: AHBO/Press Note/2017/2 Date: 20 March, 2017

BIS Raid on manufacturing Unit of PVC Insulated cable

An enforcement raid was carried out by team of officers of Bureau of Indian Standards, at the premises of M/s Kamal Insulations, 1304-C/1, Phase-1, GIDC, Chhatral, Tq. Kalol, Dist-Gandhinagar, a manufacturer of PVC insulated cables on 20 March, 2017 based on input that the unit indulged in manufacturing, marking, packing of cables with ISI mark without having valid license from BIS. During the operation large scale misuse of BIS Standard mark (ISI) was found. More than 55 drums of 60000 metres (approx.) of various cables were seized as evidence.

The said product is under mandatory certification notified by Government of India which implies that no person shall manufacture the product without having license from BIS to use the BIS standard mark (ISI).Action is being initiated against the offender for using BIS standard mark without prior permission of BIS, under violation of section 11 (1) and 12 (b) of BIS act 1986. The offence is punishable by imprisonment up to 1 year or a fine of ₹. 50,000/- or both.

Unscrupulous manufacturers use BIS standard mark (ISI mark) without valid license to deceive the public in general. BIS, Ahmedabad has been carrying out series of raids (search and seizure operations), as and when information about misuse of Standard Mark is received/collected, to protect the consumer from such deception and possible safety hazards which emanate from usage of such substandard material. Anybody who has information about the misuse of Standard Mark may write to the Head, Bureau of Indian Standards, Ahmedabad Branch office, 3rd Floor, Navajivan Amrut Jayanti Bhavan, Behind Gujarat Vidyapith, Off. Ashram Road, Ahmedabad- 380014 (Phone No. 079-27540317). A complain can also be made by email at ahbo@bis.gov.in, or enf@bis.gov.in. **The identity of the informant would be kept strictly confidential.**

Dr. Rajiv Kishore Jha

Sc-F & Head

(Ahmedabad Branch Office)

प्रेस विज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो

अहमदाबाद शाखा कार्यालय

हमारा सन्दर्भ : अह.शा.का./प्रेस नोट/2017/2

दिनांक : 20 मार्च , 2017

पी.वी.सी. इंसुलेटेड केबल के निर्माता इकाई में भारतीय मानक ब्यूरो का छापा

भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारीयों के एक दल ने ब्यूरो से बिना वैध लाइसेंस लिए कंपनी **पी.वी.सी. इंसुलेटेड केबल** के उत्पादन , पैकिंग और ISI चिन्हांकन में लिप्त होने की एकत्रित आसूचना के आधार पर दिनांक 20.03.2017 को केबल निर्माता में. कमल इंसुलेशन , प्लाट नंबर- C/1-1304, फेज-1, जी.आई.डी.सी. एस्टेट, छात्राल, ता.कलोल, जिला. गांधीनगर के परिसर में प्रवर्तन छापा मारा | छापे के दौरान बड़ी मात्रा में भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह (ISI) का दुरूपयोग पाया गया | साक्ष के रूप में ISI चिन्ह वाले करीब 55 ड्रम तथा 60000 मीटर केबल बरामद किए गए |

यह उत्पाद भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत आता है, जिसमें यह समाविष्ट है की कोई भी व्यक्ति भारतीय मानक ब्यूरो से मानक चिन्ह के लिए (ISI) लाइसेंस लिए बिना उत्पाद का उत्पादन नहीं करेगा | भारतीय मानक ब्यूरो की पूर्व अनुमति के बिना मानक चिन्ह का प्रयोग करने वाले के खिलाफ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अनुच्छेद 11(1), 12(ख) के उल्लंघन की करवाई की जाएगी | यह अपराध दंडनीय है जिसके अंतर्गत एक वर्ष तक का कारावास, अथवा ₹. 50,000/- का आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है |

बेईमान निर्माता आम तौर पर जनता को धोका देने के लिए बिना वैध लाइसेंस के भारतीय मानक ब्यूरो के मानक चिन्ह (ISI) का प्रयोग करते हैं | भारतीय मानक ब्यूरो समय समय पर इस प्रकार की सामग्री के उपयोग से धोका और संभावित सुरक्षा खतरों से आम जनता को बचाने के लिए शृंखलाबद्ध रूप से दुरूपयोग की प्राप्ति / एकत्रित सूचना के अनुसार छापा मारती है | कोई भी व्यक्ति जिसके पास भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणचिन्ह के दुरूपयोग की जानकारी हो तो वे उसके बारे में प्रमुख, भारतीय मानक ब्यूरो, अहमदाबाद शाखा कार्यालय, तीसरा तल, नवजीवन अमृत जयंती भवन, गुजरात विद्यापीठ के पीछे, ओफ्फ़ आश्रम रोड, अहमदाबाद -380014 (दूरभाष – 079-27540317) को लिख सकते हैं | शिकायत को ahbo@bis.gov.in अथवा enf@bis.gov.in पर ईमेल द्वारा की जा सकती है | **इस प्रकार की सूचना देने वाले की पहचान को अतिगोपनीय रखा जायेगा |**

डॉ. राजीव किशोर झा

वैज्ञानिक-एफ एवम प्रमुख

(अहमदाबाद शाखा कार्यालय)